न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– **देवेन्द्र सिंह चौहान, (आर0ए0एस0)**

मुकदमा नं0 31/2023

1. अमित पुत्र गोपाल अग्रवाल
2. लोकेश पुत्र गोपाल अग्रवाल
3. हेमेन्द्र पुत्र गोपाल अग्रवाल

जाति महाजन नि0 म0नं0 398 रानी सती नगर अजमेर रोड जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रूपचन्द पुत्र दुलाराम जाति रैगर नि0 जोबनेर
2. मेडतानीजी पत्नि देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोबनेर जिला जयपुर
3. कानाराम पुत्र नारायण
4. घीसालाल पुत्र रामनिवास
5. जोधाराम पुत्र नारायण
6. डालुराम पुत्र नारायण
7. तेजकरण पुत्र रामनिवास
8. नानूराम पुत्र रामनिवास
9. प्रेमचन्द पुत्र रामधन
10. प्रेमदेवी पुत्री नारायण
11. रतनलाल पुत्र रामधन
12. राधेश्याम पुत्र रामधन
13. सन्तोषदेवी पुत्री नारायण
14. सुरेशचन्द पुत्र रामनिवास
15. सरोज पुत्री रामनिवास
16. सोहनीदेवी पुत्री नारायण

    समस्त जाति कुम्हार निवासी ढाणी नागान जोबनेर जिला जयपुर

17. तोफाना पुत्र धन्ना जाति मीना नि0 जोबनेर जिला जयपुर
18. सांवता पुत्र भागीरथ जाति मीना नि0 जोबनेर जिला जयपुर
19. गोपालसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत नि0 प्लाट नं0 22ए कल्याणपुरी कॉलोनी गोविन्दपुरा कालवाड रोड जयपुर
20. नारायणसिंह पुत्र किशोर सिंह शेखावत जाति राजपुत नि0 मीण्डा तह0 नावा जिला नागौर
21. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान जाखड अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 02/05/2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1683/1 रकबा 3.5027 है0 ख0न0 1683/2 रकवा 2.3773 हे0 वाकै ग्राम माच्छरखानी, पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है ।

प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा कश्त है। मौके पर खेती बाडी की जाती है तथा प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आये दिन प्रार्थीगण की जमीन को लेकर पाडौसी खातेदार सींव–मेड डोली को लेकर सीमा का विवाद करते रहते है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोबनेर के यहा सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार जोबनेर द्वारा हल्का पटवारी जोरपुरा जोबनेर को सीमाज्ञान करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के आदेश क्रमांक एलआर/23/04 दिनांक 21.06.2023 की पालना में पटवारी हल्का मौके पर गये। जमीन पर पहुंचकर उपस्थित खातेदार व पडौसी खातेदारों व गांव के मातबिरानो की उपस्थिति मे भूमि का सीमाज्ञान किया गया तथा सीमाये कायम की जाकर सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी तथा उपस्थित खातेदार व मौतबिरान के मौके पर ही हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 1683/2 रकबा 2.3773 कुल किता 2 कुल रकबा 5.8800 वाकै ग्राम माच्छरखानी तह0 जोबनेर का मुताबिक सीमाज्ञान सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23/06/2023 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार जोबनेर को प्रदान फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0ए0डी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 लगायत 15 के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। 19 (गोपालसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति) की तलबी जरिऐ अखबार साया की गयी, 19 (गोपालसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति) के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीयक कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 20 (नारायणसिंह पुत्र किशोर सिंह

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

शेखावत) के विरूद्ध न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 21 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं0 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 किस्म बारानी, खसरा नं0 1683/2 रकबा 2. 3773 हे0 किस्म बारानी 1 राजस्व ग्राम माच्छरखानी कि जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 350 पर रिकार्ड दर्ज है। उक्त खसरा नं0 के समीप खसरा नं0 1943/1683, 1686, 1687, 1682, 1675, 1673 है। उक्त खसरा के पास खसरा नं0 1747/1681 रकबा 0.0126 हे0 किस्म गै.मु. चाह बारानी स्थित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने के पश्चात पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 (मेडतानीजी पत्नि देवीसिंह) अप्रार्थी संख्या 16 (तोफाना पुत्र धन्ना) तथा अप्रार्थी सख्या 17 (18– सांवता पुत्र भागीरथ) का मूल लिफाफा प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गयी है, रिमार्क के साथ प्राप्त हुआ है। चुकि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात के पत्थरगढी कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, पत्थरगढी के आदेश से किसी प्रकार का हक व अधिकार निर्धारित नहीं होता है। अगर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात के पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाते है, तो इस से किसी अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 (मेडतानीजी पत्नि देवीसिंह) अप्रार्थी संख्या 16 (तोफाना पुत्र धन्ना) तथा अप्रार्थी सख्या 17 (18– सांवता पुत्र भागीरथ) के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अबेट फरमोत हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजीयात आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 1683/2 रकबा 2.3773 कुल किता 2 कुल रकबा 5.8800 वाकै ग्राम माच्छरखानी तह0 जोबनेर के पत्थरगढी के आदेश पारित फरमाने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर के की फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम–माच्छरखानी के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 1683/2 रकबा 2.3773 कुल किता 2 कुल रकबा 5.8800 का सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 को तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक एलआर/23/04 दिनांक 21.06.2023 की पालना में किया गया है। प्रार्थीगण आराजी आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 1683/2 रकबा 2.3773 कुल किता 2 कुल रकबा 5.8800 वाकै ग्राम माच्छरखानी के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण स्वयं की आराजी के पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

संख्या 1686 एवं 1682 वाकै ग्राम माच्छरखानी तह0 जोबनेर की वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 (मेडतानीजी पत्नि देवीसिंह) अप्रार्थी संख्या 16 (तोफाना पुत्र धन्ना) तथा अप्रार्थी सख्या 17 (18– सांवता पुत्र भागीरथ) ही खातेदार है, उनके वारिस रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी की अप्रार्थी संख्या 2 (मेडतानीजी पत्नि देवीसिंह) अप्रार्थी संख्या 16 (तोफाना पुत्र धन्ना) तथा अप्रार्थी सख्या 17 (18– सांवता पुत्र भागीरथ) के वारिसान को पक्षकार कायम ना किये जाने एवं उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र अबेट फरमाये जाने की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है। चुकि पत्थरगढी आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 1683/2 रकबा 2.3773 कुल रकबा 5.8800 है0 वाकै ग्राम माच्छरखानी, पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर, भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक जोबनेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें।

अतः भू0अ0नि0 जोबनेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर